म.प्र. राज्य ओपन स्कूल, भोपाल

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन
शिवाजी नगर, भोपाल – 462011

Phone : 0755-2553546
Fax No. : 0755-2552106
Web Site : www.mpsos.nic.in
E-Mail : mpsos@rediffmail.com

क्रमांक/एस.ओ.एस./2010/ 597

भोपाल, दिनांक 01/11/10

प्रति,

प्राचार्य/अध्ययन केन्द्र प्रभारी

मध्यप्रदेश

विषय : प्रवेश सत्र 2010 सामान्य/विशेष क्रेडिट हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र की पूर्ति हेतु आवश्यक निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत केन्द्र में पूर्व से पंजीकृत अभ्यार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्थित अध्ययन केन्द्र के लिए अधिकतम 500 व शेष अन्य के लिए 250 प्रवेश आवेदन फार्म संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।

उक्त आवेदन पत्रों की पूर्ति उपरांत भेजने के लिए निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

01. आवेदनकर्ता से आवेदन पत्र का देय शुल्क राशि रू. 60/– का भुगतान प्राप्त कर आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जावेगा।

02. आवेदक आवेदन पत्र की समस्त पूर्ति कर समीप के M.P. Online कियास्क पर इसकी प्रविष्टि कराकर निर्धारित शुल्क जमा करेगा और पावती प्राप्त करेगा।

03. मूल आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी अध्ययन केन्द्र पर एम.पी. आनलाइन की शुल्क पावती के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र/जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र तथ अंकसूची की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करेगा।

04. विशेष क्रेडिट हेतु संबंधित अंकसूची की अध्ययन केन्द्र प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करना पर्याप्त होगा। तथापि सत्यापिंत अंकसूची का मूल अंकसूची सूची से मिलान म.प्र. राज्य ओपन स्कूल कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर करवाना होगा। मिलान उपरान्त मूल अंकसूची उसी दिन वापस कर दी जावेगी।

व्यक्तिशः मूल अंकसूची मिलान के लिये उपलब्ध ना करवा पाने की स्थिति में मूल अंकसूची रजिस्टर्ड डाक से म.प्र. राज्य ओपन स्कूल, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. में भेजने का विकल्प रहेगा। मूल अंकसूची वापस प्राप्त करने के लिये स्वयं का पता लिखा रजिस्टर्ड डाक टिकिट लगा हुआ लिफाफा संलग्न करना होगा किन्तु आपके द्वारा भेजे जाने पर व कार्यालय में मूल अंकसूची अप्राप्त रहने की स्थिति में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

मूल अंकसूची मिलान के समय संदिग्ध प्रतीत होने पर संबंधित मंडल या बोर्ड को सत्यापन हेतु लिखते हुये प्रति संबंधित परीक्षार्थी को दी जावेगी। संबंधित परीक्षा मण्डल से समयसीमा में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल को सत्यापन भिजवाने के लिये परीक्षार्थी उत्तरदायी होगा।

अंकसूची का संबंधित बोर्ड से सत्यापन कराने के उपरांत यदि अंकसूची फर्जी अथवा कूटरचित पाई जाती है तो संबंधित छात्र का परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम कभी भी निरस्त कर परीक्षार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

05. **अध्ययन केन्द्र पर आवेदन पत्र जमा करते समय निम्न बिन्दुओं की पूर्ति कराने का उत्तरदायित्व अध्ययन केन्द्र प्राचार्य का होगा :–**

5.1 आवेदन पत्र की मूल प्रति ही संलग्न की जावे। आवेदन पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।

5.2 आवेदक आवेदन पत्र स्वयं की हस्तलिपि से भरें एवं उसके द्वारा भरे गए विषय म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की विषय सूची में हों यह सुनिश्चित किया जावे।

5.3 पूर्ण पता व दूरभाष क्र/मोबाइल नम्बर अंकित हो।

5.4 हाईस्कूल आवेदन के साथ शुल्क पावती, जन्म संबंधी प्रमाण पत्र एवं क्रेडिट के प्रकरण में अंकसूची की प्रमाणित प्रति संलग्न की जावे।

5.5 हायर सेकण्डरी के आवेदन पत्र के साथ शुल्क पावती, हाईस्कूल उत्तीर्ण की सत्यापित प्रति एवं क्रेडिट के प्रकरण में अंकसूची की सत्यापित प्रति जमा की गई है।

5.6 हाईस्कूल परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु सीमा समाप्त की गई है। मात्र जन्मतिथि का प्रमाण पत्र संलग्न करना पर्याप्त है। यदि अंकसूची में जन्मतिथि अंकित है एवं उसमें कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है तो ऐसी दशा में जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त पूर्ति उपरांत ही आवेदन फार्मो का अग्रेषण किया जाए।

06. प्रश्न पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही लिखना होगा।

07. **प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के दिन परीक्षा फार्म में लगाए छाया चित्र की अतिरिक्त प्रति परीक्षा केन्द्र पर साथ लाना अनिवार्य होगा।**

08. परीक्षा आवेदन पत्र में छाया चित्र (फोटोग्राफ) जिसमें आवेदक का नाम अंकित हो लगाई जावे।

09. बिना छाया चित्र (फोटोग्राफ) के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाए।

10. सभी आवेदन का शुल्क एम.पी. आनलाइन में जमा करना अनिवार्य होगा। आनलाइन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं होगा।

11. किसी भी अध्ययन केन्द्र से आवेदन प्राप्त कर अभ्यार्थी को आनलाइन शुल्क व आवेदन की प्रविष्टि कराते समय अध्ययन केन्द्र चयन की स्वतंत्रता होगी। अध्ययन केन्द्र की निर्धारित क्षमता संख्या पूर्ण होने पर अन्य केन्द्र का चयन करना होगा।

12. **अंकसूची प्रेषण हेतु 30x25 cm. एवं प्रवेश पत्र प्रेषण हेतु 20x12 cm. आकार का स्वयं का पूर्ण पता लिखा हुआ रजिस्टर्ड डाक के टिकिट लगा हुए लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

13. शुल्क परिशिष्ट-1 के अनुसार एम.पी. आनलाइन में जमा किया जाना आवश्यक है।

14. छात्र को एम.पी. आनलाइन से प्रविष्टि व शुल्क जमा करने की नियत तिथि के 3 दिवस के भीतर समस्त सहपत्रों सहित मूल आवेदन पत्र संबंधित अध्ययन केन्द्र पर जमा करना होगा। विलम्ब से आवेदन जमा करने पर परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

15. प्रवेश सत्र 01/11/2010 से 30/11/2010 तक रहेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30/11/2010 होगी।

16. दिनांक 01/12/2010 से 07/12/2010 तक रू. 250/- विलंब शुल्क के साथ इसके पश्चात दिनांक 08/12/2010 से 15/12/2010 तक रू. 500/- विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र एम. पी. आनलाइन के माध्यम से जमा किए जा सकेंगे।

अध्ययन केन्द्र 16/12/2010 से 24/12/2010 तक आवेदन प्राप्त कर म.प्र. राज्य ओपन स्कूल कार्यालय में जमा कर सकेंगे। दिनांक 27/12/2010 से 31/12/2010 तक विलंब से जमा आवेदन पर अग्रेषण शुल्क देय नहीं होगा। इस तिथि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेंगे। 31/12/2010 के पश्चात पूर्व तिथि में अग्रेषित फार्म कार्यालय में प्राप्त होते हैं तो अग्रेषण शुल्क देय नहीं होगा। पुरानी तिथि में अग्रेषित करने के प्रयास में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल का कार्य अध्ययन केन्द्र पर करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध निलंबन एवं दीर्घ शास्ती देने की कार्यवाही की जावेगी।

17. नियत सीमा के अन्तर्गत अग्रेषण किए गए फार्मो के अग्रेषण शुल्क रू. 15/- का भुगतान म.प्र. राज्य ओपन स्कूल से प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाने पर प्रति त्रुटि रू. 5/- का कटौत्रा किया जावेगा। आवेदन पत्र अपूर्ण पाए जाने पर देय अग्रेषण शुल्क में से त्रुटि के अनुपात में कटौती की जावेगी।

18. आवेदन पत्र म.प्र. राज्य ओपन के अध्ययन केन्द्र के अलावा निर्धारित जिला अध्ययन केन्द्र एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सम्भागीय कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

19. अध्ययन केन्द्र की सूची सूचना पटल पर चस्पा की जावे जिससे आवेदक को अध्ययन केन्द्र चयन करने में सुविधा होगी।

20. हाईस्कूल के लिए सफेद आवेदन पत्र एवं हायर सेकण्डरी के लिए पीले आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(अनिल सिंह गौर)
संचालक
म.प्र. राज्य ओपन स्कूल भोपाल